

I/38536/2021



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान  
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN

6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004

6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004

दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स Fax: 2707090

ई-मेल/ E-mail : deo-raj.rpi@censusindia.gov.in



2021

आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

D-19014/2/2019-Store

दिनांक: 22-10-21 9  
22-09-2021नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन

विषय : निदेशालय जनगणना कार्य राजस्थान कार्यालय में जनगणना संबंधी शासकीय कार्यों के लिए टैक्सी किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दरें प्रेषित करने संबंधी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के शासकीय कार्य हेतु वाहन किराये पर लेने के सम्बन्ध में रजिस्टर फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करते हुए लेख है कि दिनांक 25.10.2021 सांय 4.00 बजे तक इस निदेशालय को "निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर -302004" के पते पर भिजवाने का श्रम करें।

उक्त दरें बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से "टैक्सी (कार) किराये हेतु दरें" लिखा होना चाहिए। देरी से प्राप्त दरो / ई-मेल / फिक्स से प्राप्त दरो पर विचार नहीं किया जाएगा। वाहन हायर करने क्रम में दरें प्रेषित करने का प्रारूप क्रमशः संलग्नक-I दिया गया है।

टैक्सी किराये पर प्रदान करने की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. टैक्सी/कार चालक के पास राजस्थान राज्य एवं नई दिल्ली के लिए वैध परमिट होना चाहिए।
2. टैक्सी/कार किराया पर लेने की अवधि अभी एक वर्ष तक होगी इसमें आवश्यकतानुसार अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
3. सभी टैक्सी/कार की रेट अलग-अलग देनी होगी।
4. टैक्सी की अलग से लोग बुक भरनी होगी जिस पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
5. किसी भी प्रकार का कार्यालय द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. पेट्रोल/डीजल/मरम्मत आदि का खर्चा आवेदक फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
7. कार पार्किंग व टोल टेक्स का खर्चा अलग से कार्यालय द्वारा दिया जाएगा।
7. टैक्सी कार का मॉडल 2019 के बाद का होना चाहिए।
8. दरें किसी भी स्थिति में आर.टी.डी.सी. की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. ड्राईवर का समस्त खर्चा भी आवेदक फर्म द्वारा ही किया जाएगा।
10. भुगतान माह के अंत में वास्तविक किलोमीटर/माह का निर्धारित न्यूनतम दरों के प्राप्त बिल के आधार पर किया जाएगा।
11. टैक्सी प्रदान करने वाली एजेंसी को अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,

आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपियाँ प्रेषित दरों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. जयपुर से बहार जाने पर वाहन चालक को Halting charge additional/Night charge अलग से राशि देय नहीं होगी।

13. कार्यालय में लगायी गयी कार यदि छराब हो जाती है या सर्विस के लिए जाती है तो उसके स्थान पर दूसरी कार उस अवधि के लिए प्रदान करनी होगी।

प्रस्तुत दरें सभी प्रकार के टैक्स सहित होनी चाहिए। दरें वित्तीय एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। फर्म को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपियाँ कॉटेशन सहित प्रस्तुत करनी होंगी। कार्यालय आदेश के अनुसार समय पर कार्यालय में आकर कार्य को संपन्न करना होगा। टैक्सी हायर किये जाने पर भुगतान ऑनलाइन फर्म के अकाउंट में किया जाएगा तथा टैक्सी कार की सर्विस की गुणवत्ता सही नहीं होने पर कोई भुगतान नहीं किया जाकर कार्यालय हित में बर्क आर्डर रद्द कर दिया जाएगा।

Signed by Atul Verma

Date: 11-10-2021 15:07:54

Reason Approved

उप निदेशक (का.प्र.)

जनगणना कार्य

निदेशालयराजस्थान,जयपुर  
प्रतिलिपि :

1. श्री लोकेश जैन ,सहायक निदेशक (ईडीपी) को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।

**DIRECTORATE OF CENSUS OPERATION, RAJASTHAN, JAIPUR****Rate Format for Quotation**

Sr. No.	Vehicle Type (With AC)	Out Station Night Charges	Monthly Base Package Inclusive of GST (with Km Limit)	Per Day Base Package Inclusive of GST (With Km Limit)	12Hrs./ 100km	Extra Hour Charges	Extra KM Charges	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Innova Crysta							
2.	Innova 7-Seater							
3.	Swift Desire							
4.	Another Sedan vehicle(ex: Maruti Ciaz)							

Above Given Rates Will be valid for Outstation Services.